

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक

प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2010-2011)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
(1-4-2010 से 31-3-2011 तक)।

सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमन्त्री महोदय के प्रभार के अधीन कई महत्वपूर्ण मामलों की देख-रेख करता है। विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं जिनकी कार्य निष्पादन में सहायता सचिव सामान्य प्रशासन द्वारा की जाती है। विभाग पांच अनुभागों में विभाजित है जो दो शाखा अधिकारियों द्वारा नियन्त्रित किया जा रहा है। विभाग का पदानुक्रम ढांचा निम्नलिखित है :-

मुख्य मन्त्री

मुख्य सचिव

सचिव

विशेष सचिव

अवर सचिव

अनुभाग	अनुभाग	अनुभाग	अनुभाग	अनुभाग
अधिकारी	अधिकारी	अधिकारी	अधिकारी	अधिकारी
(ए)	(सी)	(बी)	(डी)	(ई)

सामान्य प्रशासन विभाग में विभिन्न अनुभागों द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों का विवरण निम्नलिखित है :-

अनुभाग (ए)

यह अनुभाग निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित कार्य करता है :-

1. आतिथ्य एवं सत्कार विषय।

..2..

: 2 :

2. राज्य स्तरीय समारोह ।
3. स्टाफ कारों की व्यवस्था तथा चालकों की स्थापना ।
4. राज्यपालों, मुख्य मन्त्रियों, मुख्य सचिवों, जिलाधीशों व पुलिस अधीक्षकों से पत्राचार ।
5. जिलाधीश व पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन आयोजित करवाना ।
6. राजपत्रित तथा स्थानीय अवकाशों की घोषणा ।
7. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् एवं अन्तर्राज्य परिषद् सम्मेलन ।
8. हैलिकॉर्ट की व्यवस्था ।
9. अति विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन ।

अनुभाग (बी)

यह अनुभाग एकीकरण व समन्वय से सम्बन्धित मामलों को निपटाता है। राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग की स्थापना एवं अन्य संवर्ग के मामले और आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली से सम्बन्धित पत्राचार एवं अन्य महत्वपूर्ण निम्न मामले इस अनुभाग द्वारा निपटाये जाते हैं:-

1. राज्यपाल सचिवालय से सम्बन्धित कार्य ।
2. आवासीय आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित कार्य ।
3. हिमाचल प्रदेश में डाक, तार, दूरभाष और बेतार की सुविधा ।
4. जिला व तहसीलों आदि का पुनर्गठन व सृजन ।
5. एकीकरण एवं पुनर्गठन अधिनियम के अधीन संयुक्त वरिष्ठता ।
6. सम्पति व दायित्वों का वितरण ।
7. जनगणना कार्य समन्वय ।
8. भूतपूर्व शासकों की सम्पति बारे कार्य ।
9. मुख्य मन्त्री राहत कोष ।
10. असैनिक पुरस्कार ।

:3:

अनुभाग (सी)

यह अनुभाग मन्त्रीमण्डल, संसदीय कार्य और विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित मामलों को निपटाता है। यह अनुभाग सभी विभागों के मन्त्रीमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों का निपटारा जो निर्धारित अवधि तक कार्यान्वयित नहीं किये जाते हैं, ऐसे निर्णयों को समेकित करके कारण सहित वांछित सूचना विभागों से प्राप्त कर मन्त्रीमण्डल की बैठक में विचारार्थ / समीक्षा हेतु रखता है। इस अनुभाग द्वारा निपटाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय एकीकरण और एकता को बढ़ावा देना।
2. राज्य और जिला स्तरों पर समितियों का सुव्यवस्थीकरण।
3. हिमाचल प्रदेश कार्य (आबंटन) नियमावली।
4. हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली।
5. माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधान सभा तथा विधायकों एवं संसदीय सचिवों/मुख्य संसदीय सचिवों को दिए जाने वाले वेतन एवं अन्य सुख सुविधाओं बारे।

अनुभाग (डी)

यह अनुभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों की आवास सुविधा के आबंटन और अतिथि गृहों में आवास सुविधा आरक्षण को निपटाता है। सम्पदा निदेशालय से सम्बन्धित प्रशासनिक मामले भी इस अनुभाग द्वारा निपटाये जाते हैं।

अनुभाग (एफ)

यह अनुभाग स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बन्धित मामलों को निपटाता है। स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित मामले भी इस अनुभाग द्वारा ही निपटाये जाते हैं।

: 4 :

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2010-2011 (1.4.2010 से 31.3.2011) तक के महत्वपूर्ण कार्यकलाप:-

- (क) 1. हिमाचल दिवस समारोह आयोजन रोहडू (शिमला)
(15.4.2010)
2. स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन करसोग (मण्डी)
(15.8.2010)
3. पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजन हमीरपुर
(25.1.2011)
4. गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन शिमला
(26.1.2011)
- (ख) 1.4.2010 से 31.3.2011 तक इस विभाग द्वारा 1 नया वाहन क्रय किया गया ।
- (ग) 1.4.2010 से 31.3.2011 तक विभाग द्वारा कुल 150 विशिष्ट व्यक्तियों /दलों को राज्य अतिथि घोषित किया गया ।
- (घ) सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान, आपातकालीन सेवाओं व जन-जातीय क्षेत्रों में उड़ान हेतु मै 0 जेसन एयरलांड्स लिं 0 का एक हैलीकाप्टर एम०आई०-१७२ माह अगस्त, 2011 तक पट्टे पर मु 0 1,32,360/- रु प्रति उड़ान/ प्रति घण्टे की दर से न्यूनतम 40 घण्टे प्रति माह की दर से लिया हुआ है ।

डाक व संचार सुविधायें

जनता की मांगों पर नये उप डाकघर / डाकघर व सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र खोलने बारे डाक/दूरसंचार विभागों से सम्पर्क स्थापित करना इस विभाग का मुख्य कार्य है। इस विभाग द्वारा उप डाकघरों/ डाकघरों एवं सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों के कार्यों सम्बन्धी किसी व्यक्ति और संस्था से प्राप्त शिकायतों/सुझावों को भी डाक/ दूरसंचार विभागों के साथ समाधान हेतु उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरभाष/डाक विभागीय समिति का गठन राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है जोकि राज्य में दूरभाष केन्द्र खोलने हेतु निर्णय एवं सुझाव देती है और सामान्य लोगों की मांगानुसार सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र खोलने बारे भी सिफारिश करती है।

मुख्य मन्त्री राहत कोष

इस कोष से प्रदेश के जलरतमन्द व गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यतः यह राशि बीमारी के उपचार हेतु गरीब कन्याओं के विवाह, गरीब विद्यार्थी को पढ़ाई जारी रखने हेतु आदि के लिए प्रदान की जाती है।

दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक मुख्य मन्त्री राहत कोष में उपलब्ध धनराशि - मु0 7,00,60,887/- रु0 है। इस अवधि में प्राप्त अनुदान राशि मु0 3,77,42,004/- रु0 तथा इस अवधि के दौरान आबंटित राशि मु0 50,85,00,21/- रु0 है।

दिल्ली से सम्पर्क कार्य

आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली का कार्यालय हिमाचल प्रदेश सचिवालय का अभिन्न अंग है। इस कार्यालय का स्टाफ हिमाचल प्रदेश सचिवालय कुल काडर संख्या में से स्थानान्तरण के आधार पर यहां भेजा जाता है। इस कार्यालय का प्रमुख कार्य केन्द्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों एवं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न मन्त्रालयों/ विभागों के महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी प्राप्त करके राज्य सरकार को भिजवाना एवम् राज्य सरकार के हितों के ध्यानार्थ समन्वय कार्य करना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं उधोगपतियों को राज्य में विभिन्न प्रकार के उधोग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खान, उद्यान, विज्ञान, कृषि तथा ऊर्जा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आवासीय आयुक्त कार्यालय अतिविशिष्ट व्यक्तियों जैसे कि महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमन्त्री एवं सभी मंत्रीगणों को अतिथि सत्कार प्रदान करता है जब वे लोग दिल्ली प्रवास पर आते हैं और यहां से वापिस या आगे देश के किसी दूसरे कोने में जाते हैं। इन व्यक्तियों के लिए रेलवे व हवाई टिकटों का इन्तज़ाम करना व विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ इन व्यक्तियों के पासपोर्ट व बीजा का प्रबन्धन करने के लिए सम्पर्क करना। इनकी यात्राओं के लिए राजनैतिक समाशोधन (**Political clearance**) विदेश मंत्रालय से तथा वेबाकी प्रमाण पत्र प्रशासनिक मन्त्रालय से लेना ताकि अतिविशिष्ट व्यक्ति निर्धारित समयानुसार विदेश यात्रा पर जा सके। इस कार्यालय से हिमाचल प्रदेश के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में जाने वाले विदेशी पर्यटकों को पास/परमिट प्रदान

किये जाते हैं । प्रदेश से आने जाने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों को स्टेशनों से लाने/छोड़ने व मीटिंग व सभाओं के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाना ।

यह कार्यालय राज्य सरकार के दस्तावेजों को भारत सरकार के मंत्रालयों में वितरित करने का कार्य भी करता है । इसके साथ ही केन्द्रीय मन्त्रालयों, विभागों से अति आवश्यक एवं आवश्यक सरकारी दस्तावेजों को अल्पावधि में एकत्रित करके राज्य सरकार को समय पर भिजवाता है । बहुत लम्बे समय से लम्बित पड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्णित करवाकर इसकी सूचना राज्य सरकार को पहुंचाता है । यह कार्यालय राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच पुल का कार्य करता है तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व कार्यालयों के महत्वपूर्ण मामलों को केन्द्रीय सरकार के साथ उठाता है व उनका निपटारा समय पर करवाने के लिए सहयोग करता है । साथ ही महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों का अनुसरण करके उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश इस कार्यालय द्वारा की जाती है ।

हिमाचल भवन की इमारत जो पिछले लगभग 29 सालों से काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, के ढांचे की मुरम्मत का कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण करवाया गया जिसका निरीक्षण समय-समय पर प्रधान आवासीय आयुक्त द्वारा स्वयं किया गया । इसके साथ मधूर बिहार में बने रिहायशी मकानों की मुरम्मत का कार्य भी करवाया गया ।

गोपनीय एवं मन्त्रीमण्डलीय विभाग

1. 1.4.2010 से 31.3.2011 तक की अवधि के दौरान 33 मन्त्रीमण्डलीय बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 634 मर्दों पर निर्णय लिये गये। 04 मर्दों को मन्त्रीमण्डल से परिचालन विधि द्वारा अनुमोदित करवाया गया।
2. 1.4.2010 से 31.3.2011 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार कारबार (आवंटन) नियमावली, 1971 में 1 संशोधन किया गया।
3. वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र 2007 के कार्यान्वयन हेतु मन्त्रीमण्डलीय उप-समिति की चार बैठकों का आयोजन करवाया गया।

संसदीय कार्य विभाग

1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान लोक सभा/ राज्य सभा की 4 समितियों तथा प्रदेशों की विधान सभा की 23 समितियों ने हिमाचल प्रदेश में अध्ययन भ्रमण किया। इस विभाग द्वारा उक्त समितियों के ठहराने/ परिवहन / सुरक्षा इत्यादि का प्रबन्ध करने हेतु सम्बन्धित विभागों/जिलाधीशों को आवश्यक दिशा निर्देश किये गये।

इस अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भले और पैशन) संशोधन अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 19 का 2010) के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा सदस्य को अपनी पदावधि के दौरान अपने परिवार सहित या उनकी देशभाल या सहायता करने वाले किसी व्यक्ति के साथ रेलवे द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्यपरिवहन उपकरण द्वारा

देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार बनाया गया जिस हेतु वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मु0 75000/- रु0 की अधिकतम सीमा तक किराये की प्रतिपूर्ति कर सकेगा ।

इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सदस्य की रेलवे द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपकरण द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा के अन्तर्गत अपने परिवार सहित या उनकी देखभाल या उनकी सहायता करने वाले किसी व्यक्ति के साथ यात्रा करने की अधिकतम सीमा 15000 कि0 मी0 से बढ़ा कर 20,000 कि0 मी0 प्रतिवर्ष की गई ।

भूतपूर्व सदस्य की मूल पैशान मु0 10,000/-रु0 से बढ़ा कर 14,000/-रु0 मासिक की गई तथा प्रथम पदावधि के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए मु0 400/-रु0 से बढ़ा कर 500/- रु0 की गई ।

सम्पदाओं का प्रशासन

1. राज्य के शिमला स्थित 1883 विभिन्न वर्गों, 70 पारगमन आवास 145 गैराजों, 306 सेवक आवासों का मन्त्री परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों, समाचार पत्रों के सम्बाददाताओं तथा कर्मचारियों को आबंटन, परिवर्तन तथा अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त अनुमति प्रदान करना ।
2. हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों पर सामान्य पूल की नई ईकाईयों का निर्माण कार्य ।
3. आवास सम्बन्धी राज्य के अन्य स्थानों पर पूल मामलों पर सलाह व निर्देश जारी करना ।

4. आवास भवनों की देख-रेख, परिवर्तन/परिवर्धन एवं मुरम्मत आदि के मामलों का निपटाना ।
5. आवास आबंटन नियमों का बनाना एवं समय-समय पर संशोधन करना ।
6. राज्य अतिथि गृह, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, नई दिल्ली व चण्डीगढ़ तथा राजधानी शिमला स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह, शिमला में राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवास सुविधा का आरक्षण करना तथा इसके लिए परमिट जारी करना ।
7. सम्पदा निदेशालय से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों का निपटारा ।
8. शिमला में कार्यालय प्रयोजन हेतु आवास उपलब्ध करवाना अथवा अन्जापति प्रमाण पत्र जारी करना ।
9. सरकारी रिहायशों की मुरम्मत से सम्बन्धित पत्राचार व इस बारे लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना ।

स्वतन्त्रता सेनानियों का कल्याण

प्रदेश सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों के कल्याण हेतु बचनबद्ध है, इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को लाभनिवृत करने हेतु “हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान योजना-1985” बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों, स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों को सम्मान राशि प्रदान की है तथा दम्पति की मृत्युपरान्त उनकी अविवाहित पुत्रियों को सम्मान राशि हस्तान्तरित की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा “हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान योजना-1985” के अन्तर्गत दिनांक 1.9.2009 से प्रदेश की स्वतन्त्रता सेनानियों/ उनकी पत्नियों एवं अविवाहित पुत्रियों को क्रमशः मु0 4000/- रु0 और मु0 3000/- रु0 प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के कुल 945 लाभार्थीयों, जिनमें 146 पात्र जीवित स्वतन्त्रता सेनानी 792 स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियाँ तथा 7 अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं, जिस पर इस वर्ष 3,60,48,498/- रु0 व्यय किये गये हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह पर मु0 10,000/- रु0 (दस हजार रुपये) की दर से मु0 4,20,000/- रु0 का अनुदान उपलब्ध करवाया गया तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के देहान्त पर दाह संस्कार हेतु सम्बन्धित परिवार को मु0 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये) की दर से मु0 1,15,000/- रु0 व्यय किए गए।

प्रदेश सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों और स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान कर रखी है तथा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों में सीट नं0 8-9 आरक्षित की गई हैं तथा इन सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों व उनकी

पत्नियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण सुविधा प्रदान कर रखी है। सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की अन्त्येष्ठि राजकीय सम्मान के साथ करवाई जानी भी सुनिश्चित की है।

इस वित्तीय वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग में कुल 92 मामले प्राप्त हुए, जिनकी सूचना निर्धारित अवधि के भीतर आवेदकों को दे दी गई थी, जिससे प्राप्त कुल मु0 2064/- रु0 (दो हजार चौसठ रुपये) की राशि सरकारी कोष में जमा करवाई गई है।
